संख्या–24/7/76– का– प्रसको – 2002

प्रेषक,

राजेन्द्र भौनवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक विभाग–प्रशिक्षण समन्वय कोष्ठक: लखनऊः दिनॉक : जून 17 ,2002

विषय:– प्रशिक्षण संस्थानों को विशिष्ट सुविधायें अनुमन्य कराया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, परिपत्र संख्या–3008/का–प्रसको/1987, दिनॉक 02 दिसम्बर, 1987 के द्वारा अनुमन्य विशिष्ट सुविधाओं को, तात्कालिक प्रभाव से, निम्नवत् पुनरीक्षित/संशोधित किये जाने पर राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों के निदेशकों/प्रधानाचार्यों को अतिथि सत्कार भत्ता (सम्चुअरी एलाउंस) रूपये–500.00 प्रतिमाह प्रदान किया जाय ।

(2) प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय अधिकारियों को अनुमन्य नि:शुल्क आवासीय सुविधा समाप्त कर दी जाय तथा प्रशिक्षण एवं शोध संस्थानों के परिसरों अथवा अन्य स्थानों पर उपलब्ध आवासीय भवनों के किराये का निर्धारण राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन आवासों के अनुरूप निर्धारित करते हुए, अध्यासियों से तदानुसार किराये की वसूली की जाय ।

(3) प्रशिक्षण भत्ता, सम्चुअरी भत्ता तथा अन्य सुविधायें स्वीकृत किये जाने संबंधी उपर्युक्त संदर्भित परिपत्र दिनॉक 02 दिसम्बर, 1987 एवं शासनादेश संख्या–24/8/76–का–प्रसको–1999, दिनॉक 12 मई, 1999 एवं समसंख्यक शासनादेश दिनॉक 21 अगस्त, 1999 में प्राविधानित मानकों का दृढ़ता से पालन किया जाय ।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय संबंधित विभागों के आय–व्ययक के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा ।

3. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का सभी स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–जी–(1)–440/दस–2002, दिनॉक 04 जून, 2002 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(राजेन्द्र भौनवाल)
सचिव ।

संख्या–24/7/76(1)–का–प्रसको–2002, तद्दिनॉक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2. निदेशक/प्रधानाचार्य, समस्त प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4. महालेखाकार(प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी(लेखा एवं हकदारी)उ0प्र0, इलाहाबाद ।
6. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभंग–5
7. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
8. वित्त(सामान्य) अनुभाग–1
9. निदेशक, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(भुइयॉदीन)
विशेष सचिव ।